राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

सं0 जेएचके–1/13/2012–सामान्य

जिला पलामू के श्री साहेब उरांव के प्रतिवेदन के संबंध में 26.10.2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

श्री साहेब उरांव, अनुसूचित जनजाति गांव–देवनार, पुलिस थाना–नवदिहा बाजार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित दिनांक निरंक के अपने अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत किया कि उन्हें पता चला कि उन्हें नवदिहा बाजार थाने के दिनांक 13.03.2012 के मामला सं0 16/12 में एक खबरी बनाया गया है। परन्तु उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे देवनार के हाई स्कूल में एक अध्यापक हैं और दिनांक 13.03.2012 को 10.00 पूर्वाह्न से 4.00 अपराह्न तक स्कूल में अध्यापन में संलग्न थे। उन्हें झूठे तरीके से झूठे केस में शामिल किया गया है।

मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रांची कार्यालय के दिनांक 03.04.2012 के पत्र सं0 जेएचके–1/13/2012–सामान्य द्वारा पुलिस अधीक्षक, पलामू के साथ उठाया गया और तत्पश्चात मामले की छानबीन करने एवं की गयी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मामले के पूरे तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 20.07.2012, 14.08.2012 और 15.10.2012 के अनुस्मारक भी भेजे गए परन्तु बार–बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी इस कार्यालय को उत्तर नहीं भेजा गया।

अतः मामले को पुलिस अधीक्षक, पलामू के साथ 26.10.2012 को व्यक्तिशः चर्चा करने का निर्णय लिया गया। अभ्यावेदक श्री साहेब उरांव को भी चर्चा के दौरान उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया।

श्री ए0टी0 मैथ्यू, पुलिस अधीक्षक, पलामू उपस्थित हुए। श्री साहेब उरांव नहीं आए। पुलिस अधीक्षक, पलामू ने दिनांक 25.10.2012 का पत्र संख्यक 4536 प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि आवेदक श्री साहेब उरांव की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना, नवदिहा में एक मामला दर्ज था। यह सूचित किया गया कि श्री साहेब उरांव पक्षद्रोही गवाह बन गये है।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

यह भी सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पक्षद्रोही गवाह को मामले को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा और श्री उरांव का नाम आरोप पत्र प्रस्तुत करने के दौरान शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री साहेब उरांव ने बाद में दूरभाष पर अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क किया और उनके मामले और स्थिति को स्पष्ट किया। श्री साहेब को अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलने एवं मामले को सुलझाने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को अभ्यावेदन को देखने और अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा एक महीने के अन्दर मामले पर की गयी कार्रवाई को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिया गया।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi